


168

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल रीवा म0प्र0



RS. 20/-

R. 3751-III 114

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. कामता प्रसाद तिवारी उम्र 46 वर्ष 2. बैधनाथ शरण तिवारी उम्र 40 वर्ष 3. पार्वती उम्र 50 वर्ष 4. शकुन्तला उम्र 45 वर्ष 5. रामवती पति स्व0 श्री राम तिवारी उम्र 70 वर्ष | <p>सभी के पिता स्व0 श्रीराम तिवारी तह0मनगवॉ</p> <p>सभी निवासी ग्राम धवैया थाना व तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0</p> |
|--|---|

वनाम

श्री. सी. पी. शर्मा द्वारा आज दिनांक... 1.7.14 के प्रस्तुत किया गया।

निगरानीकर्तागण

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. रामपाल तिवारी उम्र 60 वर्ष 2. शिवपाल उम्र 58 वर्ष 3. रमाकान्त तिवारी उम्र 50 वर्ष 4. अरविन्द तिवारी उम्र 45 वर्ष 5. निरमला तिवारी उम्र 48 वर्ष 6. रामउजागर उम्र 60 वर्ष पिता शोभनाथ 7. राममनोहर तिवारी पिता स्व0 अवधशरण तिवारी उम्र 64 8. रामानन्द तिवारी उम्र 65 वर्ष 9. दामोदर तिवारी उम्र 50 वर्ष 10. अशोक कुमार उम्र 47 वर्ष 11. रामलखन तिवारी पिता स्व0 त्रिवेणी प्रसाद 12. विरेश कुमार 13. राकेश कुमार 14. मुनेश कुमार 15. देवशरण तिवारी पिता शम्भूवन राम तिवारी उम्र 75 वर्ष सभी निवासी ग्राम धवैया तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0 | <p>सभी के पिता स्व0 रामशिरोमणि तिवारी</p> <p>8त10 के पिता स्व0 राधिका तिवारी</p> <p>12त14 के पिता रामलखन तिवारी</p> <p>गैर निगरानीकर्तागण</p> |
|--|---|

क्रमांक 3465

आज दिनांक 29.10.14 को प्राप्त

राजस्व मण्डल न्यायालय


DP Amra

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3751-III/14

जिला-रीवा

कामता प्रसाद तिवारी/रामपाल तिवारी

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M